IJAER/Nov-Dec-2016/Volume-5/Issue-6 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

भारतीय समाज पर दहेज अधिनियम के समाजशास्त्रीय प्रभाव पर एक अध्ययन

डॉ देवेंद्र

व्याख्याता राजकीय महिला महाविद्यालय

सादुलशहर

सार

भारतीय समाजशास्त्र में दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, जिसकी जड़ें समाज में इतनी गहरी है कि मात्र कानून से इसे उखाड़ फेकना असम्भव है।दहेज प्रथा महिलाओं के नियमित जीवन में एक बाधा है। भारतीय समाज में दहेज प्रथा प्राचीनकाल से ही विद्यमान है। थोड़ी सी सहूलियत के लिए प्रारम्भ की गई इस प्रथा ने आज इतना विकराल रूप धारण करलिया है कि आज सैकड़ों महिलाएं दहेज प्रथा की बली चढ़ जाती हैं। दहेज प्रथा किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ी है बल्कि यह तो समाज के प्रत्येक वर्ग, धर्म तथा समुदाय में पायी जाती है। दहेज प्रथा अभिभावकों पर एक सामाजिक बोझ है जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना होता है। दहेज प्रथा लोगों के जीवन-स्तर पर भी प्रभाव डालती है। दहेज-प्रथा की चपेट में आकर ना जाने कितने ही परिवार उजड़ चुके हैं फिर भी यह प्रथा कम होते नजर नहीं आ रही है।

मुख्य शब्द *: दहेज, समाज पर नकारात्मक प्रभाव, आर्थिक बोझ*

परिचय

भारतीय समाज में अभी भी जिस समस्या से जूझ रहा है, वह है दहेज पर आधारित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता; भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की जड़ दहेज की मांग है। दहेज किसी भी परिवार में हो सकता है, अमीर, पूंजीपति, गरीब, शिक्षित या अशिक्षित में कोई अंतर नहीं है। जब शादी तय होती है तो कोई भी इस बात की चिंता नहीं करता कि लड़की कितनी चतुर, बुद्धिमान और घरेलू है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पति के घर में कितना पैसा और विलासिता लाएगी। समय बीतने के साथ दहेज भारतीय समाज का एक प्रथागत हिस्सा बन गया और एक महिला से शादी करने के लिए दहेज मांगना उनका अधिकार बन गया और धीरे-धीरे दहेज महिलाओं के लिए हिंसा बन गया जब दूल्हे के परिवार को पर्याप्त दहेज नहीं मिला, जिससे दुल्हन का उत्पीड़न या क्रूरता हुई और दहेज हत्या भी हुई, खासकर भारत के कुछ हिस्सों में। दहेज की मांग महिलाओं के जीवन को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करती है। दहेज निषेध अधिनियम **1961** की धारा **2** के तहत दहेज की परिभाषा के अनुसार, यह स्पष्ट है कि दहेज एक ऐसी संपत्ति है जो महिला विवाह के समय अपने पति को देती है और इसमें भूमि, सभी प्रकार की संपत्तियां, मूल्यवान प्रतिभूतियां शामिल हैं जो विवाह के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती हैं या देने के लिए सहमत होती हैं। दहेज शब्द में विवाह व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है।

दहेज का अर्थ -दहेज शब्द का अभिप्राय उस राशि, सामग्री अथवा संपत्ति से है, जो वधू के पक्ष की तरफ से वर पक्ष को विवाह के अवसर पर दी जाती है।

"दहेज वह धन, वस्तुएँ अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री के विवाह के समय उसके पति के लिये दी जाती है।" नवीन वेबस्टर शब्दकोष

दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिसे "विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में दी हो या देना स्वीकार किया हो।"

भारतीय समाज में दहेज प्रथा -अपनी बेटी की शादी में अपनी इच्छा से खुशी-खुशी जमाई पक्ष को कोई वस्तु या संपत्ति उपहार स्वरूप देना दहेज नहीं है लेकिन जमाई पक्ष के दबाव या अपनी प्रतिष्ठा का दिखावा करने के लिए अपनी हैसियत से अधिक जमाई पक्ष को वस्तुओं या संपत्ति के रूप में उपहार देना दहेज है। विवाह के मौके पर वर पक्ष तथा वधू पक्ष की तरफ से एक-दूसरे को उपहार लेने तथा देने का रिवाज सामान्यतः प्रत्येक समाजों में प्रचलित रहा है और आज भी विद्यमान है। भारतीय समाज में विवाह-प्रथा हमेशा से ही एक खर्चीली सामाजिक रीति मानी जाती है। विवाह-प्रथा में आकर्षक साजो-सजावट, शानदार भोजन, बहुमूल्य उपहार, आकर्षक प्रकाश-व्यवस्था आदि महंगी वस्तुएँ शामिल रहती हैं। भारतीय समाज में दहेज प्रथा कई पीढ़ियों से चली आ रही है।

अध्ययन के उद्देश्य -

1. समाज में दहेज प्रथा की व्यापकता का अध्ययन।
2. दहेज प्रथा से समाज पर पड़े नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन।

शोध पद्धति

इस शोध के लिए अपनाई गई पद्धति सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक अध्ययन में दहेज पर केस कानून और महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए कानून बनाने में विभिन्न मामलों द्वारा निभाई गई भूमिका शामिल है। यह शोध पत्र विभिन्न शोध पत्रों और पत्रिकाओं से प्रेरित है। अधिकांश प्रेरणा भारत में दहेज मृत्यु और दहेज प्रथा - देव रायज़ादा द्वारा शोध पत्र से ली गई है। लिए गए आंकड़े सटीक हैं और राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा प्रदान किए गए हैं।

डेटा विश्लेषण

मैंने भारतीय राज्यों में महिलाओं की दहेज हत्याओं पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या NCRB (2001 से 2015) की जानकारी का उपयोग किया है। प्रत्येक राज्य में प्रति 100,000 महिलाओं पर दहेज हत्याओं की संख्या सामान्यीकृत है। व्याख्यात्मक चरों के पैनल का निर्माण करने के लिए, हमने विभिन्न स्रोतों पर भरोसा किया है: भारतीय जनगणना 2001 और 2011; भारत के महापंजीयक द्वारा जनसंख्या अनुमान, और गृह मंत्रालय, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बलात्कार के खिलाफ सजा के अनुमान प्रति व्यक्ति राज्य जीडीपी (या एसजीडीपी) के अनुमान के लिए। ये 2013-14 की स्थिर कीमतों पर हैं। उपलब्ध स्रोतों से प्रत्येक राज्य और वर्ष के लिए राजनीतिक शासन चर का निर्माण किया गया था। इस अवधि में डेटा की कमी, कुछ राज्यों के छोटे होने और राज्यों के पुनर्गठन के कारण विभिन्न समायोजन करने पड़े। असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने आधिकारिक 2014-15 एसडीपी अनुमान जारी नहीं किए हैं, इसलिए दिसंबर 2013 तक आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर हम उसी का अनुमान लगाते

हैं। हम 2013-14 और 2014-15 के पिछले वर्षों में एसडीपी में अंतर की गणना करके ऐसा करते हैं। फिर हम इस अंतर (एसडीपी 2013-14 माइनस एसडीपी 2015-14) को 2014-15 के आधिकारिक एसडीपी अनुमानों में जोड़ते हैं, जिससे हमें 2014-15 एसडीपी अनुमान मिलते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए एस.डी.पी. आंकड़े 2011 के बाद आर.बी.आई. डेटासेट में उपलब्ध नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कमी के कारण हमारे पैनल की समृद्धि नष्ट न हो जाए, हमने पश्चिम बंगाल के लिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) द्वारा जारी वर्तमान मूल्य अनुमानों से 2014 के स्थिर मूल्यों पर एस.जी.डी.पी. की गणना की।

भारतीय समाज में दहेज प्रथा

प्राचीनकाल में वधू के माता-पिता अपनी बेटी की शादी में जरूरी घरेलू सामग्री दिया करते थे। कुछ उच्च वर्गीय तथा मध्यमवर्गीय परिवार सोना एवं चाँदी भी दिया करते थे। ऐसा वह अपनी पुत्री के भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया करते थे। वधू के माता-पिता ऐसा अपनी हैसियत के मुताबिक किया करते थे। परन्तु धीरे-धीरे दहेज-प्रथा एक रिवाज बन गयी। अब वर पक्ष, वधू पक्ष से विवाह के अवसर पर जो कुछ मांगता है, वधू पक्ष को वह देना पड़ता है चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। वधू पक्ष को किसी भी हाल में दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। वधू पक्ष दहेज की व्यवस्था करने के लिए कभी कर्ज लेते हैं, कभी अपना घर तथा जेवर गिरवी रखते हैं तो कभी ब्याज लेने या रिश्वत लेने जैसी गतिविधियां भी करते हैं।

भारत में दहेज की वैवाहिक प्रथा व्यापक रूप से फैली हुई है। दहेज दुल्हन की ओर से दूल्हे की ओर से धन का हस्तांतरण है। इसमें कपड़े, उपकरण, ऑटोमोबाइल, संपत्ति, आभूषण, पैसा, फर्नीचर आदि शामिल हैं। परंपरागत रूप से, इस तकनीक की स्थापना के कई कारण रहे हैं। यह दुल्हन के लिए एक तरह की विरासत थी, क्योंकि परिवार की सारी संपत्ति पुरुषों को विरासत में मिलती थी। यह दुल्हन के लिए सुरक्षा के रूप में माना जाता था, अगर उसके पति के घर पर कोई दुर्भाग्य आ जाए।

यह दूल्हे को शादी में दुल्हन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की इच्छा के लिए सम्मानित करने की एक प्रणाली भी थी, और दिए जाने वाले उपहार किसी भी महत्वपूर्ण चीज से लेकर शुभकामनाओं के छोटे प्रतीक तक हो सकते थे। हालाँकि, दहेज के लालच ने भारत के अधिकांश सामान्य परिवारों को प्रभावित किया है। यह खतरा एक विवाहित महिला के खिलाफ लगभग सभी हिंसा का मूल कारण है। ज्यादातर मामलों में शादी के बाद दहेज की समस्या पैदा हो जाती है। अगर पत्नी वह सब देने के लिए तैयार नहीं है, जो उसका पति और ससुराल वाले मांगते हैं, तो दूल्हे के घर में उसका जीवन दयनीय हो जाता है। उसके साथ क्रूरता से पेश आया जाएगा और कुछ मामलों में तो उसकी जान भी जा सकती है।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू किया गया है और इसके अलावा कानूनों को और भी सख्त बनाया गया है, जैसे धारा 304 बी (दहेज हत्या) और धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में शामिल किया गया है और धारा 113 बी (दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान) को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) का हिस्सा बनाया गया है ताकि दहेज प्रथा और उससे जुड़ी मौतों के इस जघन्य कृत्य को खत्म किया जा सके या कम से कम कम किया जा सके।

दहेज प्रथा के कारण -

अपनी पुत्री का विवाह अपनी ही जाति, समुदाय, वर्ग तथा उपजाति में करने हेतु एवं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु दहेज-प्रथा को अनिवार्य माना जाता है क्योंकि इससे विवाह का दायरा सीमित हो जाता है अतः सीमित दायरे में ही अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए माता-पिता को मजबूरन अपनी पुत्री के विवाह में ढेर सारा दहेज देना पड़ता है।

- भारतीय समाज में बेटियों के विवाह को अनिवार्य समझा जाता है। अतः विवाह की अनिवार्यता ही वर-पक्ष को अधिक से अधिक दहेज की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- ऊँचे कुल में अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए भी माता-पिता को मोटे दहेज का इंतजाम करना पड़ता है।
- उच्च शिक्षा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा भी दहेज प्रथा का एक प्रमुख कारण है कि शिक्षा एवं प्रतिष्ठा के कारण अभिभावक अपनी पुत्री का विवाह एक उच्च शिक्षित तथा नौकरी पेशा वाले लड़के से ही करना चाहते हैं। अतः समाज में ऐसे लड़कों के अभाव के कारण भी वर-पक्ष द्वारा अधिक दहेज की मांग की जाती है।
- दहेज-प्रथा हेतु महंगाई भी जिम्मेदार है क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। अतः वर पक्ष द्वारा विवाह को धन प्राप्त करने का एक जरिया माना जाता है। इसलिए वर पक्ष अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वधू-पक्ष से अधिक दहेज की मांग करते हैं।
- दहेज को समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाने लगा है। वधू पक्ष मानता है कि वह अपनी बेटी के विवाह में अत्यधिक दहेज देंगे तो उससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी।
- भारतीय समाज में महिलाओं को कमजोर या दोआम दर्जे का माना जाता है, यह भी दहेज प्रथा हेतु जिम्मेदार है।
- महिलाओं में साक्षरता का कम प्रतिशत भी दहेज प्रथा का कारण है। शिक्षा के अभाव में भी दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलता है।
- दहेज प्रथा को क्रय-विक्रय के रूप में बढ़ावा मिलना भी दहेज प्रथा का एक कारण है अतः जिन अभिभावकों ने अपनी बेटी के विवाह में अधिक दहेज दिया होता है वह अपने बेटे के विवाह में उस धन की वापसी को देखते हैं और इन्हीं कारणों से समाज में दहेज जैसी कुरीति को बढ़ावा मिलता है।

दहेज प्रथा के नकारात्मक प्रभाव

भारतीय समाज में दहेज-प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। दहेज के कारण महिलाओं के साथ अन्याय किया जाता है। बेटी के जन्म के समय से ही उसे एक बोझ तथा उपभोक्ता के रूप में देखा जाता है। इसी सोच ने कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को बढ़ावा दिया। बेटी जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी उसके लिए उतनी ही ज्यादा दहेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस सोच ने बाल-विवाह की समस्या को बढ़ावा दिया। दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव कन्या के विवाह पूर्व एवं विवाहोपश्चात दोनों ही स्थितियों में देखे जा सकते हैं। बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी तक अभिभावक उसके लिए उपयुक्त दहेज की रकम जोड़ने की कोशिश करते हैं।

इस हेतु वह कई बार अनैतिक कार्य जैसे ब्याज लेना, रिश्वत लेना आदि भी करते हैं। दहेज प्रथा लोगों के जीवन स्तर को भी कम करती है। अपनी पुत्री के विवाह में दहेज की व्यवस्था करने हेतु कई बार अभिभावक कर्ज ले लेते हैं, अपनी जमीन-जायदाद को गिरवी रख देते हैं। दहेज प्रथा के कारण हजारों महिलाएं मौत के घाट उतार दी गई हैं। भारत में प्रति एक घन्टे में एक महिला दहेज की बली चढ़ जाती है। दहेज प्रथा महिलाओं में मानसिक तनाव को भी जन्म देती है। ससुराल पक्ष के लोग अपनी बहू को मिले दहेज की तुलना अपने आस-पड़ौस तथा नाते-रिश्तेदारी में मिले दहेज से करते हैं जो महिलाओं में भावनात्मक विकार को उत्पन्न करती है। वर्तमान में हमें ऐसे कितनी ही महिलाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिन पर ससुराल वाले दहेज के कारण जुल्म करते हैं तथा उन्हें कभी-कभी जलाकर मार भी देते हैं अथवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हें। इस प्रकार दहेज प्रथा किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है।

निष्कर्ष

दहेज की मांग की समस्या केवल एक परिवार द्वारा दूसरे परिवार की क्षमता और इच्छा से परे नकदी और सामान की मांग करना नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वित्तीय कारकों के परस्पर संबंध का सवाल है। जब कोई अलग-अलग महिलाओं और परिवारों की चौंकाने वाली कहानी पढ़ता है, तो वह पाता है कि समस्या की जड़ों या इस प्रथा को रोकने और एक बहुत जरूरी सामाजिक बदलाव लाने के लिए किसी भी प्रेरणा के बारे में उनके बीच बहुत कम या बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है।

ग्रंथ सूची

1. फ़िज़ाना अशरफ़ मलिक, हुमा अख़्तर मलिक (2011) "दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई के रूप में: भारत का एक अध्ययन" अमेरिकन जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इन अफ्रीका, खंड 2 (1), पीपी. 1-9, जनवरी, 2011.

2. डॉ. आर.एम. कांबले (2012) "भारत में दहेज प्रथा: एक विश्लेषण" खंड 8, अंक-29, पीपी. 142-146.

3. रामचंद्र एन.यू. और दीप्ति राधाकृष्ण (2013) "भारत में दहेज प्रथा का विश्लेषण: कारण और उपचार" जेटीआईआर फरवरी 2013, खंड 6, अंक-2, आईएसएसएन 2349-5162.

4. अनुष्का (2011) "द दहेज ट्रेजडी: आधुनिक भारत में दहेज प्रथा के कारणों का विश्लेषण" खंड-2, ग्रीष्म अंक 2011, आईएसएसएन-2583-2883।

5. रुबैया मुजीब "असम में दहेज मृत्यु: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण" जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, खंड 1, संख्या 2 (आईएसएसएन 2455-7706)।

6. आर. जगनमोहन राव (1973) "भारत में दहेज प्रथा - समस्या के प्रति सामाजिक-कानूनी दृष्टिकोण" खंड 15, संख्या 4, 1973, पृ. 617-625

7. डॉ. के. नीला पुष्पम (2011) "भारत में दहेज प्रथा", खंड 10 अंक-1, जनवरी 2011, आईएसएसएन: 2320-2882

8. लीला अतेफ़ाख़र (2014), "भारत में दहेज प्रथा", खंड 7, अंक-3, मार्च 2014, आईएसएसएन 2250-3153।

9. चतुर्वेदी, जे. और सिंह, एस. (2004). महिलाओं का स्वाभिमान: साहित्य और चिंतन। कोलकाता: आनंद प्रकाशन।

10. देशपांडे, वी. (2007) नारीवाद और महिला उपन्यासकार। कानपुर: विकास प्रकाशन।

11. शंकर, आर.जी. (2006) दहेज के खिलाफ लड़ना जरूरी है। हिंदीनेस्ट, 01 अप्रैल।

12. शर्मा, के. (2005) महिलाएं और आवाजें। शाहदरा, दिल्ली: आलेख प्रकाशन।

13. शर्मा, के. (2009) नई चमक - नए मायने। हिंदुस्तान रीमिक्स, 23 दिसंबर।

14. वही। [अज्ञात शेष विवरण], पृष्ठ 433।